उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 101/2017/1019/92-2-2017-41जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 28 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद वाराणसी में मा0 प्रधानमंत्री जी के सांसद निधि के निर्माण कार्यो, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के कार्यो एवं क्रिटिकल गैप्स योजना के कार्यो में अपने अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण, निविदा की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी वर्क आर्डर जारी न किये जाने तथा अन्य जनपद में कार्यभार ग्रहण के उपरान्त भी वाराणसी का प्रभार हस्तानान्तरित न किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी सम्प्रति निलम्बित के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-101/2017/1019(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-31/ग्रा0अ0वि0/नियो0-जांच/शि0-वाराणसी/2017-18 दिनांक 05-06-2017 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिण्मण्डल-वाराणसी के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित शासन को (दो प्रतियों में) 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती।

3- श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल'-वाराणसी सम्प्रति निलम्बित द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in